न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
275 / 22	28.11.2022	15.09.2025

बउनवान

1. कमलेश पत्नी हनुमान सिंह जाति अहीर निवासी बावद सक्तपुरा तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– प्रार्थीया

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र सोलू
2. ललिता देवी पुत्री सोलू
3. श्रीराम पुत्र सोलू
4. कबूल देवी पुत्री सोलू
5. मूर्ति देवी पत्नी सोलू जाति अहीर निवासी बावद सक्तपुरा तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. जगमाल सिंह पुत्र मल्लाराम
7. धनपति पुत्री मल्लाराम
8. नीलम पुत्री मल्लाराम
9. महावीर पुत्र मल्लाराम
10. नेतराम पुत्र मक्खन जाति अहीर निवासी बावद सक्तपुरा तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
11. उप पंजियक महोदय तहसील मुण्डावर
12. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर लैण्ड होल्डर तह0 मुण्डावर जिला अलवर।

अप्रार्थी

13. रतनलाल पुत्र हनुमान
14. दिनेश पुत्र हनुमान जाति अहीर निवासी बाबद सक्तपुरा तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

दावा अन्तर्गत 53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी वकील –: श्री पृथ्वीसिंह यादव
अप्रार्थी वकील –: श्री रणवीर सिंह यादव

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

हैक्0 ख0 न0 72 रकबा 0.01 हैक्0 ख0 न0 73 रकबा 0.1...
रकबा 0.06 हैक्0 कुल किता 7 ...

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑडर 9 नियम 13 जा०दी० एवं धारा 151 जा०दी० (मु0न० 197/2021 बअनुवान श्रीराम बनाम जगमाल वगैरा) में मिन प्रार्थीया की ओर निम्न पेश है :–

1. यह है कि उक्त विवादित आराजी हाल ख० न० 22 रकबा 0.68 हैक०, ख० न० 24 रकबा 0.46 हैक० तथा ख० न० 70 रकबा 0.15 हैक० ख० न० 71 रकबा 0.61 हैक० ख० न० 72 रकबा 0.01 हैक० ख० न० 73 रकबा 0.41 हैक० ख० न० 74 रकबा 0.06 है. कुल किता 7 कुल रकबा 2.38 हैक० वाके ग्राम बावद सक्तपुरा में स्थित है।
2. यह है कि उक्त विवादित ख०नम्बरान में हिस्सा मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी तथा असल अप्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है असल अप्रार्थीगण बहूत ही चालाक व सातिर दिमाग वाले लोग है जिन्होने आपस में साजबाज होकर उक्त ख० नम्बरान बाबत एक राजस्व वाद बअनुवान श्रीराम वगैरा बनाम जगमाल वगैरा मु०न० 197/2021 अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधि० 1955 के तहत अदालत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष दिनांक 14/6/21 को पेश करते हुये बाला बाला तरीके से कुर्रे कायम करा कर तकास्मा की जाने वाली आठ के ख० नम्बरान के आवागमन व रास्ता सम्बधित तथ्यों की अनदेखी करते हुये तथा राज० काश्तकारी अधि० 1955 के नियम 18 से 21 का कतई ध्यान ना देते हुये अदालत श्रीमान को गुमराह करते हुये दिनांक 17/8/22 को असल अप्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण सं० 197/21 बनुवान श्रीराम बनाम जगमाल वगैरा में अंतिम डिकी जारी करा ली जबकि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिन प्रार्थीया नं० 1 व तरतीबी अप्रार्थी नं0 13 व 14 को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा ना ही प्रारम्भिक डिकी के बाद मौका पर्चा कुर्रे कायमी तैयार करते समय भी गिरदावर बीजवाड चौहान व ह० पटवारी मिन प्रार्थीया व उसके परिवार के किसी भी सदस्य से कुर्रजात प्रस्ताव दिनांक 15/9/21 के बारे में किसी प्रकार की सहमति व असहमति के बारे में ना तो राय ली ना ही दिखाया कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करने वाले कर्मचारी गिरदावर बीजवाड चौहान व ह० पटवारी माणका व अन्य राजस्व कर्मचारियो ने केवल असल अप्रार्थीगण के ही कुछ लोगो के हस्ताक्षर कुर्रेजात प्रस्ताव दि० 15/9/21 पर कराया जाना अंकित है।
3. यह है कि उक्त विवादित ख० नम्बरान बाबत निर्णित मु० न० 197/21 बनुवान श्रीराम बनाम जगमाल वगैरा को दायर करते समय अप्रार्थीगण ने मिन प्रार्थीया व तर० अप्रार्थी नं० 13 व 14 को जानबूझकर पक्षकार ना बनाते हुये मनमाने तरीके से तकास्मा कराने व मिन प्रार्थीगण को बेजा नुकसान पहुंचाने की नियत से मु0न0 197/21 को दि० 14/6/21 को दायर किया गया तथा बाला बाला तरीके से आनन फानन में कुर्रे कायमी वास्ते दि० 10/7/21 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर दि० 15/9/21 को

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीया व तर० अप्रार्थी स० 13 व 14 को सुचित किये बिना कुर्रजात प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 21/9/21 को कुर्रजात प्रस्ताव पेश किया जाकर दि० 17/8/22 को अदालत श्रीमान द्वारा अंतिम डिकी जारी की गई उक्त प्रकरण में मिन प्रार्थीया व तर० अप्रार्थी 13 व 14 को पक्षकार नही बनाया गया तथा ना ही किसी भी तरीके से मिन प्रार्थीया व तर० अप्रार्थी स0 13 व 14 को सूचित करने का प्रयास किया गया जबकि मिन प्रार्थीया व तर० अप्रार्थी सं० 13 व 14 उक्त विवादित आ० के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके उक्त विवादित आ० में हित निहित होने के कारण उक्त प्रकरण के आवश्यक पक्षकार थे जिनको सुने जाना कानूनन आवश्यक था अप्रार्थीगण द्वारा मिन प्रार्थीया व तर० अप्रार्थी स० 13 व 14 को उक्त प्रकरण में जबकि पक्षकार बनाये बिना व सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ही बाला बाला तरीके से उक्त प्रकरण को दि० 17/8/22 को डिकी करा लिया उक्त डिकी मिन प्रार्थीया के हक व अधिकारो के खिलाफ बातिल व बेअसर है ना काबिल पाबंदी है मिन प्रार्थीया व तर० अप्रार्थी न० 13 व 14 के हक व अधिकार कानूनन सुरक्षित है अपने हक व अधिकारो की रक्षार्थ प्रा० पत्र अपास्त कराये जाने डिकी दि० 17/8/22 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा०दी० श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक आया है। 4. यह है कि प्रकरण सं० 197/2021 बअनुवान श्रीराम बनाम जगमाल वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधि० 1955 के रजू दि० 14/6/21 से अंतिम डिकी 17/8/22 तक अप्रार्थीगण द्वारा या अदालत श्रीमान द्वारा प्रार्थीगण को किसी भी माध्यम से सुचित नहीं किया गया उक्त प्रकरण के दायर होने व फैसल होने बाबत प्रार्थीगण को कतई जानकारी नहीं हुई निर्णय के पश्चात खरीफ की फसल काटते समय दि० 6/9/22 को अप्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय दि० 17/8/22 के अनुसार मनमाने तरीके से विवादित ख० नम्बरान पर कब्जा लेने के लिए चर्चा करने लगे कि उक्त विवादित ख० नम्बरान का हमने बंटवारे की डिकी करा ली है तो प्रार्थीया जो अनपढ ग्रामीण महीला है उसके पुत्र तर० अप्रार्थी सं० 13 व 14 सेना में नौकरी करते है इस कारण से प्रार्थीया ने जैसे तैसे करके उक्त प्रकरण की नकल प्राप्त की नकल दि० 9/9/22 को प्राप्त की कानूनी सलाहकार से सलाह लेने पर उक्त डिकी दि० 17/8/22 के बाबत प्रार्थीया को पूर्ण जानकारी मिली कि अप्रार्थीगण ने हमारे विरुद्ध बहुत ही बेजा तरीके से व नियम विरुद्ध तरीके से राजस्व कर्मचारियो से साजबाज होकर मन मानी तरीके से कुर्रजात रिपोर्ट तैयार करा कर प्रारम्भिक डिकी दि० 10/7/21 व अंतिम डिकी दि० 17/8/22 जारी कराई है की जानकारी के बाद कई बार प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से कहा की उन्होने हमको पक्षकार बनाये बिना व प्रार्थीगण के हक व अधिकारो को ध्यान रखे बिना दि० 17/8/22 को गलत तरीके से डिकी कराई है उसमें संशोधन कराने व सबके हितो का ध्यान रखते हुये डिकी जारी कराने का निवेदन किया तो पहले तो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण झूठा आश्वासन देते रहे कि वकील साहब से राय लेकर ऐसा करा लेगें लेकिन दि० 13/11/22 को अप्रार्थीगण ने साफ इंकार करते हुये ऐलानिया धमकी दी की अंतिम डिकी दि० 17/8/22 के अनुसार ही हम कब्जा लेंगे और कोई रास्ता नही छोडेगे तुम चाहे जो कर लेना उसके बाद कानूनी सलाहकार से सलाह लेकर अविलम्ब ही आदेश 9 नियम 13 जा०दी० प्रा० पत्र पेश करना आवश्यक आया है।

4. यह है कि अप्रार्थीगण ने प्रारम्भिक डिकी दि० 10/9/21 व अंतिम डिकी दि० 17/8/22 कतई खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है विवादित आ० में प्रार्थीगण के हक व हकूक निहित है इसलिए प्रार्थीगण को न्यायहित में सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक न्याय संगत है उक्त विवादित ख० नम्बरान बाबत जारी डिकी में काश्तकारी अधि० (नियम) 1955 के नियम 18 से 21 का कतई अनुसरण नहीं किया गया ऐसी सूरत में उक्त विवादित ख० नम्बरान बाबत जारी प्रारम्भिक डिकी 10/9/21 व अंतिम डिकी दि० 17/8/22 हर सूरत मे काबिल खारिज है
5. यह है कि डिकी व निर्णय दि० 17/8/22 को अदालत श्रीमान द्वारा जारी किया गया है इसलिए प्रा०पत्र आदेश 9 नियम 13 जा०दी० अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होकर अदालत श्रीमान के सुनने योग्य है।
6. यह है कि उक्त अन्तिम डिकी दि० 17/8/22 के बाद दि० 6/9/22 को मनमाने तरीके से अप्रार्थीगण ने विवादित आ० पर कब्जा लेने की चर्चा करने व.दि० 13/11/21 को ऐलानिया धमकी देने से सर्वप्रथम जानकारी होने से बिनायदावी बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र माकूलन अन्दर अवधि पेश है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा०दी० पेशकर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर डिकी दि० प्रारम्भिक डिकी दि० 10/7/21 व अंतिम डिकी दि० 17/8/22 को अपास्त किये जाने एवं राजस्व वाद बअनुवान श्रीराम वगैरा बनाम जगमाल वगैरा मु०न० 197/2021 अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधि० 1955 में प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे। श्रीमान की महति कृपा होगी।

जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी पी सी अप्रार्थी सं० 6 ल0 10 की ओर से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि पैरा सं० 1 आराजी मुतनाजा बाबत है जो सही है।
2. यह है कि पैरा सं० 2 इतना सही है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थीया व अप्रार्थीगण असल एवं फोरमल अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी रही है। जिसका अब जरिये डिकी दिनांक 18/07/2022 को तकासमा हो चुका

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

है। शेष पैरा गलत है अप्रार्थीगण ने कोई चालाकी नहीं की ना ही कोई धोखाधडी की है। सही यह है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण असल सं० 1 ल० 5 एवं फोरमल अप्रार्थीगण आपस में साज बाज हो रहे है। अप्रार्थीगण सं० 1 ल० 5 ने एक राजस्व वाद बअनुवानी श्रीराम बनाम जगमाल वगैराह पेश किया एवं अप्रार्थी सं० 6 ल0 10 ने एक राजस्व वाद जगमाल बनाम श्रीराम पेश किया पूर्व वाद श्रीराम बनाम जगमाल वगैराह वाद में श्रीराम ने प्रार्थीया एवं फोरमल अप्रार्थी को पक्षकार जानबूझकर नहीं बनाया कि वाद डिफैक्टिव होने से संशोधन कराया जायेगा और वाद लम्बे समय तक चलता रहेगा क्योंकि अप्रार्थी सं० 6 अपने हिस्से की आराजी में मकान का निर्माण कर रहा था उस निर्माण को बाधित करने के लिये अप्रार्थी सं० 3 ने डिफैक्टिव वाद पेश किया और स्थगन आदेश जारी कराकर अप्रार्थी सं० 6 का निर्माण कार्य रोक दिया गया इसके बाद अप्रार्थी सं० 6 ने राजस्व वाद बअनुवानी जगमाल बनाम श्रीराम वगैराह दायर किया जिसमें प्रार्थीगण व फोरमल अप्रार्थीगण के पति हनुमान को वाद में पक्षकार बनाया गया एवं जरिये डाक सभी प्रतिवादी की तामील करायी गयी थी बाद तामील प्रार्थीया का पति बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहा बाद में दोनो वादो को कन्सोलिडेट किया जाकर प्रारम्भिक डिकी किया गया प्रारम्भिक डिकी के बाद आराजी का मौका निरिक्षण कर श्रीमान तहसीलदार द्वारा कुर्रे रिपोर्ट तैयार की गयी जिसमें भी प्रार्थीया के पति को हिस्सेदार मानकर कुर्रे रिपोर्ट में हिस्सा दिया गया है दोनो वादो को कन्सोलिडेट किया गया था और दोनो वादो को एक ही निर्णय से निर्णित किया गया है। अप्रार्थीगण सं० 6 ने अपने वाद बअनुवानी जगमाल बनाम श्रीराम में प्रार्थीया के पति को पक्षकार बनाया गया था और तामील करायी गयी थी।

3. यह है कि पैरा सं० 3 इस प्रकार बयान किया गया है कि श्रीराम बनाम जगमाल मे प्रार्थीया फोरमल अप्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गलत है क्योंकि उक्त वाद दायरी के समय प्रार्थीया का पति जीवित था इसलिये प्रार्थीया को पक्षकार बनाने का तर्क गलत है काबिल स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया का पति व प्रार्थीया अप्रार्थी सं० 1 ल० 5 कोलोसिव थे और आज भी है प्रार्थीया के पति को इसी आराजी का तकासमा का वाद अप्रार्थी सं० 6 के द्वारा दायर वाद जगमाल बनाम श्रीराम वगैराह में बनाया गया था और तामील करायी गयी थी लेकिन अनुपस्थित रहा है। इसके बाद दोनो वादो को कन्सोलिडेट कर दिया गया और दोनो वादो को एक ही निर्णय के द्वारा आराजी का तकासमा प्रार्थीया के पति को हिस्सा देते हुये कर दिया गया जब प्रार्थीया को लगा कि वाद का निस्तारण होने वाला है तो अप्रार्थी सं० 6 के निर्माण को रोके रखने के लिये इसी आराजी का एक राजस्व वाद बअनुवानी कमलेश बनाम जगमाल वगैराह दायर कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करा ली और अप्रार्थी सं0 6 के मकानो का प्लास्टर व दरवाजे लगाना बाकी रह गया इसलिये बार बार उसी आराजी के बाबत फदम फदम वाद

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

हैक0 ख0 न0 72 रकबा 0.01 हैक0 ख0 न0 73 रकबा 0.11

Scanned with OKEN Scanner

एवं प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी जा रही है। इसी आराजी बाबत राजस्व अपील अधिकारी अलवर की अदालत में डिकी दिनांक 17/08/2022 की अपील चल रही है जिसमें श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी अलवर की अदालत ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने पर प्रार्थी ने नया पैंतरा अपनाते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दिवानी का अनर्गल तर्को के आधार पर पेशकर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी है एवं प्रार्थीया ने इसी आराजी व इन्ही पक्षकारो के बीच पूर्व में तकासमा की डिकी होने वाली आराजी के बाबत एक राजस्व वाद बाबत तकासमा बअनुवानी कमलेश बनाम जगमाल वगैराह अदालत हाजा में दायर कर रखा है जो आज भी विचाराधीन है। विवादित आराजी का तकासमा पक्षकारो को तलब कर कुर्रे रिपोर्ट मंगवायी जाकर दिनांक 17/08/2022 को अन्तिम डिकी की जा चुकी है। जिसकी अपील भी की जा चुकी है उन्ही पक्षकारो के बीच व उसी अनुतोष के लिये दीगर वाद एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीया काबिल खारिज है। प्रार्थीया फोरमल अप्रार्थीगण व अप्रार्थी सं० 1 ल० 5 आपस में कोलेसिव होकर अप्रार्थी सं० 6 के कार्य को बाधित करने के लिये नये नये अनर्गल वाद व प्रार्थना पत्र के जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है।

4. यह है कि पैरा सं0 4 गलत है अस्वीकार है। आराजी मुतनाजा के बाबत श्रीराम बनाम जगमाल वगैरा के वाद दूसरा वाद बाबत तकासमा बअनुवानी जगमाल बनाम श्रीराम वगैराह पेश किया गया जिसमें प्रार्थीया के पति हनुमान को प्रतिवादी की जद में पक्षकार बनाया गया था और जरिये डाक तलबी करायी गयी थी प्रार्थीया का यह कहने का कोई अर्थ नहीं रहता है कि अदालत से वाद के बाबत सूचना नहीं दी गयी है प्रार्थीया के पति की तलबी जरिये डाक करायी गयी थी परन्तू उक्त व्यक्ति उपस्थित नहीं आया इसके बाद दोनो वादो श्रीराम बनाम जगमाल वगैराह व जगमाल बनाम श्रीराम वगैराह कन्सोलिडेट किये गये और निर्णित किया गया प्रार्थीया को सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी रही है। अब यह कहना कोई मायने नहीं रखता है कि हमें वाद की सूचना नहीं दी गयी और जानकारी पूर्व में निर्णित वादो के बारे में नहीं थी इसलिये प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 पेश किया गया है प्रार्थीया स्वंय ने भी इसी आराजी का पृथक से तकासमा बम्य हु० ई० दवामी का वाद पेश कर रखा है जो कमलेश बनाम जगमाल वगैराह के अनुवान से विचाराधीन है एवं इसी आराजी के बाबत तकासमा की डिकी होने पर श्रीमान आर एए अलवर की अदालत में अपील विचाराधीन है ऐसी स्थिति में अदालत हाजा में उसी आराजी के बाबत अन्य समानान्तर वाद प्रार्थना पत्र विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज फरमाया जावे।

5. यह है कि पैरा सं० 5 गलत है अस्वीकार है। प्रार्थीया का पति वाद में पक्षकार रहा है एवं तामील करायी गयी है इसलिये यह कहना निरर्थक है

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

हैक0 ख0 न0 72 रकबा 0.01 हैक0 ख0 न0 73 रकबा 0.41 हैक0 ख0 न0 74 रकबा 0.06 हैक0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.38 हैक0 वाके ग्राम बावद सकनामा में स्थित है।

Scanned with OKEN Scanner

कि प्रार्थीया को वादो की जानकारी नहीं है। प्रार्थीया स्वंय ने भी राजस्व वाद इसी आराजी बाबत दायर कर रखा है जो अभी भी विचाराधीन है। प्रारम्भिक डिकी व फाईनल डिकी सभी की जानकारी में रहते हुये हुयी है इसलिये डिकी को निरस्त कराने की अधिकारणी नहीं है। फिर भी यदि कोई एतराज तकासमा बाबत है तो अपील में अपने उजात पेश करने को स्वतंत्र है।

6. यह है कि पैरा सं0 6 कानूनी है।
7. यह है कि पैरा सं० 7 में बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पेदा होने की दिनांक सर्वप्रथम 13/11/2021 अंकित किया है इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से काबिल खारिज है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी पी सी मय हर्जा खर्चा 10,000 रूपयें खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

बहस प्रार्थी पक्ष (कमलेश पत्नी हनुमान सिंह की ओर से)

1. पक्षकार न बनाना एवं प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन
   - श्रीमान, विवादित आराजी पर वाद मु.नं. 197/2021 (श्रीराम बनाम जगमाल वगैरा) दायर किया गया, परंतु प्रार्थीया व तरतीबी अप्रार्थी नं. 13, 14 को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया।
   - जब कोई व्यक्ति रिकार्डेड खातेदार व हिस्सेदार है, तो उसे सुने बिना व डिकी जारी करना कानूनन शून्य (void) है।
   - यह न्याय के सिद्धांत "audi alteram partem" (दोनों पक्षों को सुने बिना निर्णय न किया जाए) का स्पष्ट उल्लंघन है।
2. कुर्रे कायमी रिपोर्ट की खामियां
   - मौके पर निरीक्षण करते समय न तो प्रार्थीया से और न ही उसके परिवार से कोई राय ली गई।
   - प्रस्तावित कुर्रेजात पर केवल असल अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर अंकित हैं। यह दर्शाता है कि कार्यवाही एकतरफा और पक्षपातपूर्ण थी।
3. फैसले की जानकारी छुपाना
   - दिनांक 17/08/22 को अंतिम डिकी जारी हुई, किंतु प्रार्थीया को न तो कोई तामील दी गई, न नोटिस।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

- प्रार्थीया को प्रथम बार जानकारी खरीफ की फसल काटते समय 06/09/22 को मिली, और नकल दिनांक 09/09/22 को प्राप्त हुई।
- इसका अर्थ है कि पूरा निर्णय गैरहाजिरी में और धोखे से पारित कराया गया।
- अपील व समानान्तर कार्यवाही का मुद्दा

विपक्ष कहता है कि इस डिकी के खिलाफ अपील लंबित है। परंतु, जब कोई डिकी ही पक्षकार को सुने बिना जारी हुई है, तो उसका पहला उपचार आर्डर 9 नियम 13 CPC है। अपील और ऑर्डर 9 रूल 13 दोनों ही अलग–अलग उपाय हैं। अधिकार व हकूक पर आघात प्रार्थीया अनपढ़ ग्रामीण महिला है, जिसके पुत्र सेना में नौकरी पर हैं। ऐसे में सुनवाई का अवसर न देना, उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। डिकी को कायम रखना न्याय के विरुद्ध होगा।

निष्कर्ष प्रार्थी पक्ष

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रारम्भिक डिकी दिनांक 10/07/21 एवं अंतिम डिकी दिनांक 17/08/22 को अपास्त कर, प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए।

बहस अप्रार्थी पक्ष (भूपसिंह एवं अन्य की ओर से)

1. वाद व डिकी वैध व विधिपूर्ण

विवादित आराजी की तकास्मा कार्यवाही दो वादों को एक साथ (consolidate) कर की गई।

(i) श्रीराम बनाम जगमाल वगैराह

(ii) जगमाल बनाम श्रीराम वगैराह।

दूसरे वाद (जगमाल बनाम श्रीराम) में प्रार्थीया के पति हनुमान को प्रतिवादी बनाया गया और डाक तामील कराई गई।

तामील के बाद भी वह अदालत में हाजिर नहीं हुआ।

इस प्रकार कार्यवाही विधिपूर्ण रही।

2. प्रार्थीया व उसके पति का कोलूसिव (मिलीभगत) रवैया

प्रार्थीया व उसके पति जानबूझकर अनुपस्थित रहे ताकि कार्यवाही लंबी खिंच सके।

बाद में प्रार्थीया ने अलग से नया वाद दायर किया और अस्थायी निषेधाज्ञा लेकर निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की।

यह दर्शाता है कि प्रार्थीया का उद्देश्य केवल अप्रार्थी नं. 6 के मकान निर्माण को बाधित करना है।

3. अपील लंबित है

डिकी दिनांक 17/08/22 के विरुद्ध पहले ही अपील राजस्व अपीलीय अधिकारी, अलवर के समक्ष लंबित है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अपील विचाराधीन रहते हुए समानान्तर प्रार्थना पत्र ऑर्डर 9 रूल 13 पेश करना मल्टीपल रेमेडी (कनचसपबपजल वचितवबममकपदहे) है। यह कानूनन अस्वीकार्य है।

4. प्रार्थना पत्र समयबद्ध नहीं

स्वयं प्रार्थीया ने स्वीकार किया कि उसे डिकी की जानकारी 06/09/22 को मिली और धमकी 13/11/22 को मिली।
जबकि प्रार्थना पत्र बहुत विलम्ब से पेश किया गया है, अतः यह मियाद से बाहर (time barred) है।

5. कानूनी आधार नहीं

जब प्रार्थीया के पति वाद में पक्षकार रह चुके हैं और कुर्रे रिपोर्ट में उनका हिस्सा अंकित है, तो यह कहना कि "हमें पक्षकार नहीं बनाया गया" तथ्यात्मक रूप से असत्य है।

प्रार्थीया ने स्वयं भी इसी आराजी बाबत अलग वाद दायर किया है जो लंबित है।

अतः पुनः वही विवाद उठाना res sub judice है और इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज होना चाहिए।

निष्कर्ष अप्रार्थी पक्ष

प्रार्थीया जानबूझकर बार–बार झूठे वाद व प्रार्थना पत्र दायर कर रही है।
प्रार्थना पत्र ऑर्डर 9 नियम 13 ब्ब् बिना आधार है और हर्जाना सहित खारिज किया जाए।

निष्कर्ष

उपरोक्त संपूर्ण बहस, अभिलेख एवं प्रस्तुत परिस्थितियों पर गहन विचार करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है किकृ

1. विवादित आराजी से संबंधित वाद मु.नं. 197/2021 (श्रीराम बनाम जगमाल वगैराह) की कार्यवाही में प्रार्थीया कमलेश पत्नी हनुमान सिंह तथा तरतीबी अप्रार्थी सं. 13 एवं 14 को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि वे राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार एवं हिस्सेदार हैं।
2. यह एक आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई से वंचित रखने का प्रकरण है, जो प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत "Audi Alteram Partem" (किसी भी पक्ष को सुने बिना निर्णय न किया जाए) का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।
3. न केवल पक्षकार न बनाए जाने की गंभीर त्रुटि हुई, बल्कि मौके पर तैयार की गई कुर्रे कायमी रिपोर्ट में भी प्रार्थीया अथवा उसके परिवार से कोई सहमति/असहमति नहीं ली गई। इससे स्पष्ट है कि पूरी कार्यवाही एकतरफा व पक्षपातपूर्ण रही।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

हैक0 ख0 न0 72 रकबा 0.01 हैक0 ख0 न0 73 रकबा 0.06 हैक0 कुल किता 7 कुल रक

Scanned with OKEN Scanner

4. अंतिम डिक्री दिनांक 17/08/2022 प्रार्थीया की अनुपस्थिति में पारित की गई तथा उसे इस डिक्री की जानकारी बहुत बाद में खरीफ फसल के दौरान अप्रार्थीगण के कथन से हुई। इस प्रकार प्रार्थीया को पूर्व में तामील या सूचना न देकर निर्णय पारित करना विधि एवं न्याय की दृष्टि से अवैध है।
5. यद्यपि अप्रार्थी पक्ष का यह तर्क है कि अपील भी लंबित है, तथापि जब कोई डिक्री ही आवश्यक पक्षकारों को सुने बिना पारित हुई हो तो उस डिक्री के विरुद्ध प्रथम उपचार आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दिवानी (ब्ब्) ही है। अपील और ऑर्डर 9 नियम 13 दोनों ही पृथक उपाय हैं और इस स्थिति में प्रार्थीया को राहत मिलना न्यायोचित है।
6. प्रार्थीया एक ग्रामीण अशिक्षित महिला है, जिसके पुत्र सैन्य सेवा में हैं। उसके विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखना न्यायालय का दायित्व है। न्याय का तकाजा यही है कि उसे भी सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाए।

आदेश

अतः न्यायालय यह घोषित करता है कि :–
प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10/07/2021 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 17/08/2022 जो वाद मु.नं. 197/2021 (श्रीराम बनाम जगमाल वगैराह) में पारित हुई, अपास्त (निरस्त) की जाती है।

उक्त प्रकरण को पुनः विचारार्थ स्वीकार कर, प्रार्थीया एवं तरतीबी अप्रार्थियों को विधिपूर्वक सुनवाई का अवसर दिया जाए।

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दिवानी को स्वीकृत किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा राज0)

Scanned with OKEN Scanner

पेश [illegible]

15/9/24 पत्रावली पेश/ वकील [illegible] उपस्थित

[illegible]

[illegible] पत्रावली

[illegible]

पत्रावली [illegible]

पत्रावली [illegible]

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)